

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

प्रेस विज्ञप्ति

भाविप्रा की एक ओर सुरक्षा पहल: विमान यातायात नियंत्रकों के लिए दो-स्ट्रीम एटीसी रेटिंग प्रणाली

नई दिल्ली, 31 अगस्त 2017: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारतीय वायुक्षेत्र में विमान प्रचालन और प्रचालन दक्षता की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से, जिसे ऐतिहासिक कदम कहा जा सकता है, भारतीय यातायात नियंत्रकों हेतु दो-स्ट्रीम रेटिंग प्रक्रिया को लागू करने का निर्णय लिया है। नियंत्रकों हेतु मौजूदा एकल स्ट्रीम-मल्टीपल रेटिंग से प्रस्तावित दो-स्ट्रीम रेटिंग प्रक्रिया में बदलने हेतु समय से लिया गया भाविप्रा का कदम भाविप्रा की एक अन्य प्रमुख सुरक्षा पहल है जो वैश्विक विमान दिक्चालन योजना के अनुरूप कई एएनएस सुरक्षा पहलुओं में पहले से लागू की है। हाल के दिनों में, एएनएस बुनियादी ढांचे के उन्नयन, अपर एयर स्पेस हार्मोनाइजेशन, कई समानांतर मार्ग संरचनाओं को लागू करना, विमान यातायात फ्लो मैनेजमेंट इत्यादि सहित कई और अधिक अग्रणी कदम उठाए गए थे।

प्रस्तावित दो-स्ट्रीम रेटिंग प्रक्रिया भारतीय विमान यातायात नियंत्रकों को या तो इनरूट स्ट्रीम अथवा टर्मिनल स्ट्रीम में तैनात करने की परिकल्पना की गई है। जबकि इनरूट स्ट्रीम में तैनात नियंत्रक महाद्विपीय/सामुद्रिक इनरूट चरण में विमान यातायात सेवाओं के प्रावधान के लिए उत्तरदायी होंगे, टर्मिनल स्ट्रीम में नियंत्रक उन विमानों को विमान यातायात सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे जो हवाईअड्डे से 60 एनएम के आसपास प्रचालित हो रही हैं जिसमें इनरूट चरण से आगमन कर रही उड़ाने और प्रस्थान उड़ाने उनके एनरूट चरण प्रचालन में शामिल हों।

विमान यातायात नियंत्रक (एटीसीओ) द्वारा आरंभिक प्रशिक्षण को पूरा करने और अनिवार्य ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, इकाओं मानकों और डीजीसीए विनियमों के अनुरूप उनकी योग्यता और कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। नियंत्रक के दक्षता / कौशल और मूल्यांकन के लिए उचित मूल्यांकन प्राप्त करने के बाद, उनमें यातायात से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने और संश्लेषण कर उच्च दबाव यातायात स्थितियों या असामान्य घटनाओं की स्थिति में शांत रहने की क्षमता विकसित हो जाती है, और वह संबंधित एटीसी यूनिट में स्वतंत्र रूप से ड्यूटी करते हैं। अतः एटीसी यूनिट में स्वतंत्र रूप से प्रचालन कार्य करने के लिए एटीसीओ के लिए रेटिंग एक अद्वितीय योग्यता है। वर्तमान में, ऐसे प्राधिकार को प्राप्त करने के लिए एटीसीओ को प्रत्येक एटीसी यूनिट में ऐसे व्यापक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है तथा यदि नियंत्रक को बढ़ती हुई मांग हेतु सभी एटीसी इकाईओं में दक्ष होना हो तो कोई भी कठिन प्रशिक्षण की आवश्यकता की कल्पना कर सकता है। इसके अलावा, रोटेशन के आधार पर विभिन्न ऑपरेटिंग विशिष्टताओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों / इकाइयों पर कार्मिकों की तैनाती की आवश्यकता का सामना करना पड़ रहा है, इससे नियंत्रक को किसी विशेष इकाई या क्षेत्र में उनकी दक्षता स्तर में वृद्धि करने में बड़ी कठिनाई हो रही है।

भाविप्रा - मौजूदा गैर-लाभकारी बहू-रेटिंग प्रणाली को बंद करने के दृष्टिकोण को देखते हुए और एटीसीओ और विमान परिचालन की सुरक्षा के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए - प्रमुख विमान दिक्चालन सेवा प्रदाताओं जैसे कि अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) द्वारा अंगीकार

की गई अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार दो-स्ट्रीम रेटिंग प्रक्रिया पर काम शुरू किया गया है।

जब इसे कार्यान्वित किया जाता है, तो दो-स्ट्रीम एटीसी रेटिंग प्रणाली से प्रारंभिक और ऑन द जॉब प्रशिक्षण अवधि में काफी कमी आ जाती है जिससे एटीसीओ को स्वतंत्र रूप से अपनी ड्यूटी करने के लिए बढ़ी हुई उपलब्धता की अनुमति होगी। कम से कम इकाइयों सहित तथा विशेष एटीसी स्ट्रीम में यह एटीसीओ को बढ़ी हुई दक्षता / कौशल स्तर की संभावना भी प्रदान करता है। इस प्रकार नियंत्रकों के लिए तनाव और थकान स्तर कम होता है, जिससे एयरलाइनों के लिए सुरक्षा में वृद्धि और प्रचालन लागत में कमी आती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय एएनएसपी ने एटीएस कार्मिको के प्रमाणन के लिए अलग से निदेशालय स्थापित किया है जिसने भारतीय यातायात नियंत्रकों हेतु एक मजबूत रेटिंग प्रणाली स्थापित करने और विमान यातायात नियंत्रकों के सामर्थ्य / कौशल स्तर को सुनिश्चित किया है।

इस नई पहल के शुरू होने के बाद, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विभिन्न कारकों जैसे कि कम लागत वाले कैरियर (एलसीसी), बढ़ते एयर कार्गो प्रचालन, निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए हवाईअड्डा अवसरंचना को आरंभ करने के लिए तैयार है और देश के दुर्गम क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने के लिए भारत सरकार कार्य कर रही है। अगले 5 वर्षों में भारत में एयरलाइन ऑपरेटरों के 1000 से अधिक विमानों के अधिग्रहण और भारतीय आकाश में 10,000 से अधिक दैनिक विमान आवागमन के परिणामस्वरूप, भाविप्रा कौशल को उन्नत करके और इन नए निर्णय की पहल के माध्यम से विमान यातायात नियंत्रकों की क्षमता स्तर में बढ़ोतरी होगी जिससे भारतीय आकाश में पहले की तुलना में सुरक्षित और अधिक कुशल विमान प्रचालन सुनिश्चित होगा।

जनसंपर्क निदेशालय द्वारा जारी
विस्तृत विवरण के लिए कृपया म.प्र (जनसंपर्क) से संपर्क करें:
9811521881, 011-24622787
प्रेस विज्ञप्ति संख्या 26/2017